राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1639/2020

देवाराम **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पाली (राज.)।
3. विकास अधिकारी, पंचायती समिति, रायपुर, जिला पाली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.12.2020
आदेश की दिनांक : 10.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप माथुर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर वसूली आदेश दिनांक 20.02.2019 वसूली स्टेटमेण्ट दिनांक 01.01.2007 से 30.04.2011 व 01.07.2011 से 31.12.2016 एवं कटौती की गई दिनांक 07.07.2019 व ई–चालान दिनांक 31.07.2019 को निरस्त करने के आदेश फरमाए जावें एवं अधिक वसूल की गई राशि मय ब्याज दिलाने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सबनाकेदार के पद पर नगर परिषद्, ब्यावर में हुई थी और पंचायत राज विभाग के आदेश दिनांक 07.03.2002 के द्वारा स्थानीय निकाय विभाग (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिकाओं के कर्मचारी) चूंगी अधिशेष कर्मचारियों का ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत के पद पर समायोजन हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए और आदेश दिनांक 21.03.2002 के द्वारा ग्राम पंचायत जवाजा में समायोजित किया गया और उसे पंचायत समिति, रायपुर, जिला पाली में ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापन हेतु आवंटित किया गया। अपीलार्थी का वेतन दिनांक 01.01.2016 को लेवल 10 में नियत किया गया और आगामी वेतन वृद्धि दिनांक

01.07.2016 आदेश दिनांक 05.04.2019 के द्वारा निश्चित की गई। आदेश दिनांक 20.02.2019 के आदेश के अनुसार दिनांक 01.01.2007 से अधिक भुगतान की वसूली करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अपीलार्थी को उक्त जानकारी सेवानिवृत्त होने तक विभाग द्वारा नहीं दी गई और न ही जवाब देने का कोई अवसर दिया गया। सेवानिवृत्ति पश्चात् अपीलार्थी से उक्त वसूली के आदेश जारी किए गए, जो नियम विरूद्ध है। आलोच्य आदेश 20.02.2019 के द्वारा 01.01.2007 से 30.04.2011 तक अधिक भुगतान वसूली स्टेटमेण्ट के अनुसार रूपये 1,29,698/– वसूली हेतु आदेश जारी किया गया। इसी प्रकार दिनांक 01.07.2011 से 31.12.2016 तक संशोधित वेतनमान वृद्धि पर वसूली राशि रूपये 55,806/– वसूली हेतु आदेश जारी किया गया और अपीलार्थी को नोटिस दिए बिना तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना ही अपीलार्थी के वेतन बिल दिनांक 07.07.2019 से वसूली कर ली गई और ई–चालान दिनांक 31.07.2019 को रूपये 55,806/– की राशि जमा करवाकर वसूली कर ली गई, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया :–

1. Shyam Babu Verms V/s UOI SC (1994)
2. Bhagwan Shukal V/s UOI SC (1994)
3. Ramesh Kumar Sharma V/s State of Raj. - Raj. Hi.C. (1997)
4. Lakshmi Narayan Mukhopadhyay V/s UOI (SC 2002)

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर वसूली आदेश दिनांक 20.02.2019 वसूली स्टेटमेण्ट दिनांक 01.01.2007 से 30.04.2011 व 01.07.2011 से 31.12.2016 एवं कटौती की गई दिनांक 07.07.2019 व ई–चालान दिनांक 31.07.2019 को निरस्त करने के आदेश फरमाए जावें एवं अधिक वसूल की गई राशि मय ब्याज दिलाने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार फिक्सेशन दिनांक 09.03.2009 को वेतन 7850 ग्रेड पे 2000 कुल वेतन 9850 पर निर्धारित किया गया जो कि दिनांक 01.09.2006 से प्रभावी था देयकर आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2007 से नियत करके प्रतिवर्ष एक जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि नियमानुसार स्वीकृत की गई और 9 वर्ष की सेवा पर प्रथम चयनित वेतनमान 5000–9000 (10) दिए जाने के आदेश जारी किए जाने

के कारण देय किए गए। चयनित वेतनमान दिनांक 01.01.2007 से 02.04.2011 तक रूपये 1,29,698/– तथा पश्चात्वर्ती वेतन वृद्धियां दिनांक 01.07.2011 से 01.07.2016 तक प्रदत्त की गईं। अधिक वेतन वृद्धि रूपये 55,806/– की वसूली विभाग द्वारा नियमानुसार की गई। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सबनाकेदार के पद पर नगर परिषद्, ब्यावर में हुई थी और पंचायत राज विभाग के आदेश दिनांक 07.03.2002 के द्वारा ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत के पद पर समायोजन हेतु आदेश दिनांक 21.03.2002 के द्वारा ग्राम पंचायत जवाजा में समायोजित किया गया। अपीलार्थी का वेतन दिनांक 01.01.2016 को लेवल 10 में नियत किया गया और आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2016 आदेश दिनांक 05.04.2019 के द्वारा निश्चित की गई। आदेश दिनांक 20.02.2019 के आदेश के अनुसार दिनांक 01.01.2007 से अधिक भुगतान की वसूली करने की स्वीकृति प्रदान की गई। जहां तक अपीलार्थी से आदेश दिनांक 20.02.2019 के द्वारा रूपये 1,29,698/– एवं दिनांक 07.07.2019 से ई–चालान दिनांक 31.07.2019 को रूपये 55,806/– की वसूली किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में अपीलार्थी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है और अपीलार्थी से वर्ष 2007 से 2011 एवं 2011 से 2016 के मध्य की वसूली वर्ष 2019 में सेवानिवृत्ति के समय की गई है। जबकि ऐसे मामलों में कार्मिकों को पूर्व में भुगतान की गई राशि की वसूली किए जाने के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** के प्रकरण में कार्मिक को भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं :–

"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:

(i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).

> ***(ii)*** ***Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.***
>
> ***(iii)*** ***Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.***
>
> ***(iv)*** ***Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.***
>
> ***(v)*** ***In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitious or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."***

यह कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। उन्होने आगे यह भी तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195** वाले प्रकरण में यह अवधारित किया है कि इस प्रकार मामलों में वसूली नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी ने कभी भी कोई misrepresentation या धोखाधड़ी नहीं की है। इस कारण उसको जो भुगतान किया गया है, वह नियमानुसार किया गया है। उसकी वसूली किया जाना अवैधानिक है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2019 को अपास्त फरमाया जाता है एवं अपीलार्थी से जो उक्त वसूली राशि रूपये 1,29,698/— एवं रूपये 55,806/— को नियमानुसार एवं न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए वापिस की जाए। उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य